

सदैव यह प्राविधान रहेगा कि जहाँ कहीं भी इस विलेख में प्रयुक्त शब्द “प्रथम पक्ष” एवं “द्वितीय पक्ष” प्रयुक्त हुए हैं वहाँ-वहाँ प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष शब्दों में उनके उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि, स्थानापन्न, विधिविहित प्रतिनिधि शामिल व पाबन्द होंगे।

विदित हो कि प्रथम पक्ष एक निजी चिकित्सालय है, जो जे0पी0 प्लाजा, न्यू रोड, नियर दून हॉस्पिटल, देहरादून में स्थित है व VATS चिल्ड्रन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, देहरादून के नाम से विख्यात है। चिकित्सालय का निर्माण प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल व चतुर्थ तल पर है जिसके निर्माण का क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्ग फीट तक विस्तृत है, जिसको संलग्न मानचित्र में स्पष्ट किया गया है। उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक सेवायें संचालित हो रही हैं तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने की आशंका नहीं है। प्रथम पक्ष का उपरोक्त चिकित्सालय राज्य सरकार व नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया के अनुसार प्रशिक्षण कार्य करने के नोर्म्स को पूरा करता है तथा चिकित्सालय वर्तमान में 50 शैय्याएँ (बैड) क्षमताधारी है तथा वर्तमान में चिकित्सालय भारतीय नर्सिंग परिषद के मानकों के अनुसार क्रियाशील है।

विदित हो कि द्वितीय पक्ष एक शैक्षिक संस्थान है जिसमें सभी नर्सिंग पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा है किन्तु चिकित्सालय निर्माण के अभाव में सभी नर्सिंग पाठ्यक्रम (बी0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक (बी0एस0सी0 नर्सिंग), जी0एन0एम0, एम0एस0सी0 नर्सिंग, अन्य नर्सिंग पाठ्यक्रम) व पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का संचालन करने में असफल रहा है। इसलिये द्वितीय पक्ष को बी0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक (बी0एस0सी0 नर्सिंग), जी0एन0एम0, एम0एस0सी0 नर्सिंग(All Specialization) अन्य सभी नर्सिंग पाठ्यक्रम व पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं के प्रयोगात्मक/आभ्यासिक प्रशिक्षण व संचालन हेतु द्वितीय पक्ष को 50 शैय्याएँ (बैड) के चिकित्सालय की आवश्यकता है। इसलिये द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के चिकित्सालय में 50 शैय्याएँ (बैड) प्रशिक्षण हेतु 07 वर्षों के लिये आवंटित की गयी है। यह 50 शैय्याएँ (बैड) द्वितीय पक्ष (श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पौधा, देहरादून) के लिए आवंटन किया गया है यदि भविष्य में प्रथम पक्ष शैय्याएँ (बैड) क्षमता बढ़ाते हैं तो 07 वर्ष पूर्व में द्वितीय पक्ष (श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पौधा, देहरादून) के अलावा किसी अन्य संस्थान को यह शैय्याएँ आवंटन नहीं की जायेगी।

प्रथम पक्ष घोषणा करता है कि 50 शैय्याएँ (बैड) श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, मझौन, पौधा, देहरादून के अलावा किसी अन्य संस्थान को आवंटित नहीं किया गया है तथा आगामी 07 वर्षों तक भी किसी अन्य संस्थान को आवंटित नहीं की जायेगी।

अतः यह स्मृति पत्र निम्न दर्शाता है:-

1. यह कि प्रथम पक्ष एक निजी चिकित्सालय है, जो सम्पत्ति स्थित जे0पी0 प्लाजा, न्यू रोड, नियर दून हॉस्पिटल, देहरादून में स्थित है व VATS चिल्ड्रन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से विख्यात है, जो एक चिकित्सालय है, जिसके भूतल मे निर्मित प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल व चतुर्थ तल है। जिसके निर्माण का कुल क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्ग मीटर तक विस्तृत है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष नर्सिंग पाठ्यक्रम (बी0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक (बी0एस0सी0 नर्सिंग), जी0एन0एम0, एम0एस0सी0 नर्सिंग(All Specialization), अन्य नर्सिंग पाठ्यक्रम) व पैरामेडिकल के लिये शैक्षिक कार्य का संचालन अपने इंस्टीट्यूट से करेगा तथा उक्त पाठ्यक्रम के प्रयोगात्मक/आभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु प्रथम पक्ष के चिकित्सालय का उपयोग करेगा।

Singh

Singh



3. यह कि प्रथम पक्ष अपने चिकित्सालय को द्वितीय पक्ष द्वारा संचालित उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिये प्रशिक्षण हेतु 07 वर्षों के लिए उपलब्ध करायेगा जिसके प्रतिफल का प्रकार शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर पक्षकारों के मध्य तय पाया जायेगा।
4. यह कि प्रथम पक्ष का उपरोक्त चिकित्सालय राज्य सरकार व नर्सिंग कॉन्सिल आफ इण्डिया के अनुसार शैक्षिक कार्य करने के नोर्म्स को पूरा करता है तथा चिकित्सालय वर्तमान में 50 शैय्याएँ (बैड) क्षमताधारी है तथा वर्तमान में चिकित्सालय भारतीय नर्सिंग परिषद के मानकों के अनुसार क्रियाशील है।
5. यह कि उपरोक्त समयावधि 07 वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् यदि पक्षकार चाहें तो दोनों पक्षों की सहमति से समयावधि आगे बढ़ाई जा सकती है।
6. यह कि द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त चिकित्सालय का पूरी तरह निरीक्षण कर लिया है और वह पूर्णतः सन्तुष्ट होकर वर्तमान विलेख अंकित व निष्पादित कर रहा है।
7. प्रथम पक्ष हर वर्ष CMO से प्राप्त 50 शैय्यों (बैड) का Clinical Establishment Certificate एवं 50 शैय्यों (बैड) का Uttarakhand Pollution Control Board का Certificate द्वितीय पक्ष को हर वर्ष देना होगा।
8. यह MOU आज दिनांक 24/07/2025 से दिनांक 23/07/2032 (07 वर्षों) के लिए मान्य होगा।
9. यदि प्रथमपक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा यह MOU बीच में ही निरस्त किया जाता है तो प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक वर्ष पूर्व पत्र देकर सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

अथवा यह स्मृति पत्र आज दिनांक 24/07/2025 को स्थान देहरादून में साक्षीगण के समक्ष अंकित कर दिया है ताकि साक्ष्य रहे और समय पर काम आवे।



ह0 प्रथम पक्ष
(डॉ0 सूरज कुमार सिंह)

निदेशक

VATS चिल्ड्रन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
जे0पी0 प्लाजा, न्यू रोड, देहरादून
हॉस्पिटल, देहरादून व प्रोपराइटर जी0बी0एस0 हेल्थ
केयर प्राइवेट लिमिटेड।
आधार नं0- 882328713352

ह0 द्वितीय पक्ष
(श्रीनिवास नौटियाल)

अध्यक्ष

श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइन्स एण्ड
टैक्नोलॉजी, पौधा, देहरादून।
आधार नं0- 999897747296।

गवाह-1
(श्री कुलदीप सिंह)

आधार नं0- 575736723765

(निवासी- नालापानी रोड, छुग कोलोनी, देहरादून
ऑफिस- चैम्बर नं0 27, ब्लॉक 2, 1st फ्लोर, नेयर
एसोसिएशन हॉल, देहरादून)

हस्ताक्षर-

गवाह-2
(डॉ0 शिवानन्द पाटिल)

आधार नं0- 717354337064

(श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइन्स एण्ड
टैक्नोलॉजी, पौधा, देहरादून (उत्तराखण्ड)

हस्ताक्षर-

This affidavit is sworn before me by
Shri.....
who is identified by Shri
at Dehradun on.....

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun